

अपील 901-PBR-15

द्वितीय अपील क्रमांक/2015
न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष (डिंप 3312)

अपीलार्थी

:- महावीर इन्टरप्राइजेस तर्फे पार्टनर
श्री राजेश मेहता
वर्तमान पार्टनर
श्री दीपक पिता श्री नानकराम कालरा
आयु: वयस्क, धंधा-व्यापार
निवासी: श्रीराम नगर, आर.टी.ओ.रोड़,
इन्दौर (म.प्र.)

श्री राजेश मेहता
वर्तमान पार्टनर
श्री दीपक पिता श्री नानकराम कालरा
आयु: वयस्क, धंधा-व्यापार
निवासी: श्रीराम नगर, आर.टी.ओ.रोड़,
इन्दौर (म.प्र.)

प्रत्यर्थीगण

विरुद्ध

:- (1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा
उप पंजीयक जिला इन्दौर
(2) श्रीमती कस्तुरीबाई सुखराम
खंडेलवाल ट्रस्ट तर्फे अध्यक्ष श्री गोविन्द
पिता स्व. श्री तुलसीराम खंडेलवाल,
निवासी: 23, गुलमोहर कॉलोनी,
इन्दौर (म.प्र.)

अपील अंतर्गत धारा 47(ए)(5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

अपीलार्थी की ओर से सविनय निवेदन हैं कि :-

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

(प) यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान् आयुक्त संभाग, इन्दौर के द्वारा दिनांक 04.03.2015 को अपील क्रमांक 18/अपील/स्टाम्प/2011-12 में पारित आदेश से व्यथित होकर की गई हैं ।

अविरत.....2.

For Mahaveer Enterprises

Partner

A. Ashutosh
Mandloi
Advocate


महोदय इंटर ग्राजुएट / क्लास
A 901-032/15 इंका

17-4-18

१०

आवेदकपत्र व उनके अधिवक्ता दिनांक 20-10-16 से लजाता सूचना उपरोक्त अनुपाकित। आवेदकपत्र व अधिवक्ता को तीन वा प्रकाश लगावाई गई, परन्तु उनकी ओर से कोई इतिहास नहीं। प्रकृत आवेदकपत्र को अनुपाकित में आरम्भ पत्र में खारिज किया जाता है।




अध्यक्ष

[क. 1. 3.]